लोगों को प्रोत्साहित करना और बंदूक छोड़ देने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास आदि शामिल है।

Elections in the Kendriya Bhandar

463. SHRI O.P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether election of the Delegates and Board of Directors have not been held for many years in the Kendriya Bhandar, thereby eroding the democratic character of the Bhandar;

(b) if so, since when these elections have not been held;

(c) the reasons for not holding the elections; and

(d) the steps proposed to be taken to hold elections without any further delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. BALASUB-RAMONIYAN) (a) and (b) The elections of the Delegates in the Kendriya Bhandar were last held in August/September, 1983 and of the Board of Directors in December, 1985. With the retirement of 5 elected Directors from service and with the disqualificaiton of another elected Director on ground of his having interest in the business of the Society, the elected side on the Board of Directors has been reduced from 8 to 2. In order to strengthen the democratic character of the Board, five former Directors, and one Delegate who is the Chairman of the Delegate Forum, are being associated with deliberations of the Board of Directors as 'Invitees' without conferring on them status of Directors and the voting rights.

(c) and (d) The revised bye-laws of Kendriya Bhandar which took effect from 10.4.87 were challenged by some elected Directors/Delegates in the Delhi High Court in 1987. The Writ Petition is pending for final disposal before the High Court. Elections of the Directors/ Delegates are to be conducted under the supervision of the Registrar of Cooperative Societies, who has advised that status-quo may be maintained and that elections be held after final judgement of the High Court is available. Applications have been filed for early hearing of the case.

मध्य प्रदेश में शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम

464. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम (यू०बी०एस०पी०) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के रायगढ़ तथा रायगढ़ जिले के खरसिया शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबों के लिए सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की स्वीकृति से लेकर अब तक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई है;

(ग) राज्य में रायगढ़ जिले के अतिरिक्त अन्य किन-किन शहरों के लिए यह योजना स्वीकृत की गई है; और

(घ) रायगढ़ और खरसिया शहरी क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू): (क) वर्ष 1991 में।

(ख) शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं की स्कीम के तहत व्यय केन्द्र और राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में शेयर किया जाता है। अपेक्षित वर्ष-वार ब्यौरे विवरण-I पर हैं (नीचे देखिए)

(ग) रायगढ़ और खरसिया के अतिरिक्त शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं की स्कीम भोपाल, बेरसिया, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, राजनन्दगांव और मन्दसौर में भी कार्यान्वित की गयी है।

(घ) सूचना विवरण-II में है।

विवरण-I

रायगढ़ और खरसिया कस्बों में यू०बी०एस०पी० के तहत खर्च की गयी धनराशि के वर्ष-वार ब्यौरे

वर्ष	कार्यकलाप		व्यय
1990-91	शून्य		शून्य
1991-92	शून्य		शून्य
1992-93	1. 2 स्वरोजगार प्रशिक्षण एवं 2 क्लीनकों की स्थापना		46,127.00
	2. रायगढ़ के स्लमों में जल आपूर्ति की व्यवस्था		99,794.00
	3. खरसिया में 4 बालवाड़ियां		37,703.00
	4. खरसिया के स्लमों में पेयजल की व्यवस्था		1,73.000.00
	5. प्रशासनिक व्यय		37,532.00
		योग:	3,94,156.00
1993-94	1. खरसिया कस्बे में बाल बाड़ियां		62,892.00
	2. रायगढ़ कस्बे में बाल बाड़ियां		1,27,438.00
	3. बैंचमार्क सर्वेक्षण		29,270.00
	4. स्वास्थ्य जांच कैंप कनवर्जेंस		3,302.00
	5. प्रशासनिक व्यय		89,473.00
		योग:	3,12,375.00
1994-95	1. स्लमों में 6000 धुएं रहित चूल्हे		2,40,000.00
	2. यू०बी०एस० पी० न्यूजलेटर का प्रकाशन		8,905.00
	3. बैंच मार्क सर्वेक्षण		8,900.00
	4. 8 बाल बाड़ियां		1,29,074.00
	5. बाल बाड़ियों में विद्युत प्रभार		33,500.00
	6. सामुदायिक भवन का निर्माण		1,83,200.00
	7. प्रशासनिक व्यय		2,01,736.00
	8. सम्पूरक आहार		24,212.00
	9. अन्य विविध व्यय		59,072.00
		योग:	10,88,599.00
1995-96	1. प्रशासनिक व्यय		1,66,000.00
	2. विविध व्यय		82,000.00
	3. सापेक्ष (कनवर्जेश) कार्यकलापों पर व्यय		86,000.00
	4. सामुदायिक कार्य योजना		
	(क) बालवाड़ी एन०एफ०ई० पुस्तकालय		1,91,199.00
	(ख) स्वास्थ्य कार्यकलाप		1,68,188.00
	(ग) राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की व्यवस्था		33,833.00
	(घ) खेल		22,213.00
	(ङ) जनजागरण कैम्प		33,722.00

वर्ष		कार्यकलाप	व्यय
	(च)	नशाखोरों का पुनर्वास	48,237.00
	(छ)	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	5,74,800.00
	(ज)	उपस्कर	6,90,032.00
	(झ)	बालवाड़ी बच्चों को वर्दी	2,24,000.00
	(ञ)	अन्य विविध व्यय	1,51,778.00
	5.	आई०जी०ए० कार्यकलाप	1,30,500.00
	6.	आर०सी०वीज बालबाड़ी अध्यापकों का प्रशिक्षण	20,000.00
	7.	अन्य खर्चे अर्थात आम सभा बैठकें, आर०सी०वी० पर्यावरणीय प्रशिक्षण	43,000.00
		योगः	26,20,000.00
1996-97	1.	प्रशासनिक व्यय	25,033.00
	2.	बालवाड़ी एन०एफ०ई० आदि	46,000.00
	3.	स्वास्थ्य टीके, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य शिक्षा	33,000.00
	4.	सप्लीमेंट्री आहार	35,000.00
	5.	स्वच्छता	40,000.00
	6.	पुस्तकालय और पढ़ने की सामग्री	6,000.00
	7.	सांस्कृतिक कार्यकलाप आदि	53,000.00
		योगः	2,38,033.00

विवरण-II

राज्य सभा के रायगढ़ और खरसिया कस्बों में यू०बी०एस०पी० के तहत उपलब्धि (वास्तविक रुपयें में) के ब्यौरे

क्र०सं०	सी०डी०एस० का नाम	कार्यकलाप	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	लाभार्थी			
					महिलाएं	पुरुष	बच्चे	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मिथुमुडा	1. शिक्षा						
2.	रामगवन							
		(क) बालवाड़ी	1360	34	—	—	1360	1360
		(ख) अनौपचारिक शिक्षा	300	13	—	—	320	320
		(ग) प्रौढ़ शिक्षा	500	20	284	257	—	541
		(घ) क्रेच	200	4	—	—	250	250
3.	वेलाडुला	2. स्वास्थ्य टीके, स्वास्थ्य	29000	60 कैम्प	9091	8958	13129	31178

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		जांच, स्वास्थ्य कैंप	व्यक्ति					
4.	खरसिया	3. खेत	15000 व्यक्ति	15 कार्यक्रम	3000	6000	8000	17000
		4. राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम	12000 व्यक्ति	48 कार्यक्रम	2000	3000	8000	13000
				क्रम	9000	10000	12000	31000
		5. सामुदायिक स्वच्छता	30000 व्यक्ति	16 कार्यक्रम	4000	—	8000	12000
				क्रम	—	—	9000	9000
		6. सम्पू-आहार	10000	—	3000	3000	5000	11000
			महिलाएं/	30 कार्यक्रम	400	—	—	400
			बच्चे	क्रम	190	—	—	190
		7. व्यक्तिगत स्वा.	7000	36 कार्यक्रम	500	400	800	1700
		8. जनजागरण कैंप	व्यक्ति					
			10000	16 कार्यक्रम				
		9. आर०सी० वी० प्रशिक्षण	व्यक्ति	क्रम				
		10. आवर्ती ऋण	400	—				
			190	16 केन्द्र				
		11. पुस्तकालय	महिलाएं					
			1600					
			व्यक्ति					

Misuse of JRY Funds

465. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the nature of complaints regarding the vested interests channelising JRY funds for personal gains penoing with Government;

(b) in what manner Government propose to control such misuse;

(c) whether a review of the funds siphoned off by aspirants for JRY funds is likely to be made; and

(d) if so, the measures proposed in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) to (d) No such cases have been reported to Government of India. However, Jawahar Rozgar Yojana (JRY) is being implemented by the District Rural Development Agencies (DRDAs) Zilla Parishads (ZPs) at the district level and by the village panchayats at the village level. The system of checks and balances is built into the JRY guidelines so that JRY funds are properly utilised. The JRY resources released to the Gram Panchayats are to be kept in an exclusive and separate savings banks or post-office account which can be operated jointly by the Sarpanch and another persons nominated by Panchayat. Every drawal from the bank is required to be authorised in the meeting of the Gram Panchayat. The accounts of the DRDAs/ZPs/ Gram Panchayats(GPs) are also subject to regular audit. Meetings of the GPs are to be held every month on a fixed date and time, in which every member of village community can raise any issue regarding implementation of JRY. Instructions have been issued to GPs to appoint a vigilance committee for each village under its jurisdiction to oversee, supervise and monitor the im-